संख्या –610/V-2–2017–01–भागीरथी (6)/2018

प्रेषक,

नितेश कुमार झा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी
देहरादून।

आवास अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 15 मई, 2018

विषय : वित्तीय वर्ष 2018–19 में भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण हेतु बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 02.00 करोड़ (रूपये दो करोड़ मात्र) अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण की स्थापना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्राविधानित रू0 02.00 करोड़ (रूपये दो करोड़ मात्र) की धनराशि संलग्नक विवरणानुसार अलोटमेंट आई डी–518051 30125 दिनांक 16.5.2018 के अनुसार व्यय हेतु महामहिम श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं –

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि तत्काल अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण, देहरादून के पक्ष में अवमुक्त की जायेगी। उक्त धनराशि विभिन्न मदों में निर्धारित धनराशि संलग्न प्रपत्रानुसार व्यय की जायेगी।

(2) स्वीकृत धनराशि आप द्वारा योजना कियान्वयन हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड देहरादून को आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायी जायेगी और यथा आवश्यक सम्बन्धित अधिकारी अंकित व्यवस्थानुसार समय–समय पर इसका आहरण/व्यय करेंगे।

(3) प्राधिकरण द्वारा उपयुक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं विकास कार्यो हेतु किया जायेगी जो कार्यपालिका समिति द्वारा स्वीकृत हों तथा उपयुक्त प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन हेतु स्वीकृत धनराशि व्यय नहीं की जायेगी। मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों व अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) कार्यो की मासिक प्रगति प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक अगले माह की 10 तारीख तक शासन को उपलब्ध करायेगी। कार्यो का अनुश्रवण एवं भौतिक सत्यापन नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) योजना पर मासिक प्रगति प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक अगले माह की 10 तारीख तक शासन को उपलब्ध करायेगी। कार्यो का अनुश्रवण एवं भौतिक सत्यापन नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का एकमुश्त आहरण नहीं किया जायेगा बल्कि वास्तविक आवश्यकता पर उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी जितनी आवश्यक हो यदि गत वर्षो की धनराशि व्यय हेतु बची हो तो सर्वप्रथम उसको व्यय किया जायेगा और तब तक इस आदेश में इंगित धनराशि आहरित नहीं की जायेगी।

(7) कार्य समयबद्ध रूप से किया जायेगा यदि विलम्ब के कारण कार्य की लागत में वृद्धि होती है तो उसका उत्तरदायित्व प्राधिकरण का होगा।

2— उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017—18 के आय—व्ययक में अनुदान संख्या—13 के लेखा शीर्षक "2216—आवास—80—सामान्य—800 अन्य व्यय—02—भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण—20—सहायक अनुदान / अंशदान / राजसहायता के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।"

भवदीय,

संलग्नक—यथोक्त।

(नितेश कुमार झा)
सचिव

संख्या—6/18 / V-2/2018—01 भागीरथी (6) / 2015 तद्दिनांक ।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1— महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2— मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3— वित्त अधिकारी, केन्द्रीयकृत लेखा एवं भुगतान कार्यालय, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
4— अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भागीरथी विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड देहरादून।
5— वित्त अनुभाग—5, उत्तराखण्ड शासन।
6— समन्वयक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर, देहरादून।
7— गार्ड फाईल / एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

(सोमपाल)
उप सचिव

संख्या– /V–2–2018–01–भागीरथी(6)/2018 तद्दिनांक का संलग्नक

क्र0 सं0	मद का नाम	व्यय का अनुमान (हजार रू0 में)
1	अधिष्ठान व्यय	7000
2	वाहनों का अनुरक्षण एवं पी0ओ0एल0	1000
3	फर्नीचर क्रय एवं मरम्मत	100
4	वाहन व्यय	–
5	भवन किराया	1600
6	विज्ञापन	1000
7	मीटिंग सेमीनार व अतिथि व्यय	800
8	मशीनरी क्रय एवं रख रखाव	700
9	कम्प्यूटर क्रय एवं रख रखाव	2000
10	महायोजना पर व्यय	5800
	कुल योग	20000